सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1990

सा.का.नि. 553 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में, ज्येष्ठ गेस्टेटनर प्रचालक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 8 के सामने स्तम्भ 9 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"लागू नहीं होता।"

[सं. ए-12011/8/90-स्था./(डीएवीपी/यू.ए.स. (एम सी)]
एम.आर. थपलियाल, अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल भर्ती नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड (3)(i) तारीख 16-1-88 में सा.का.नि.स. 40 के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 3rd August, 1990

G.S.R. 553.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1987 against serial number 8 relating to the post of Senior Gastener Operator, under column 9, for the existing entry following shall be substituted, namely :—

"Not Applicable"

[No. A-12011/3/90-Est./DAVP|US (MC)]
M. R. THAPLIYAL, Under Secy.

Note.—The Principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India Part II Section 3(i) on 16-1-88 under GSR No. 40.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली 7 अगस्त, 1990

सा. का. नि. 554 :—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की अधिसूचना जी. एस. आर. 39 भारत के राजपत्र के पृष्ठ 63, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) दिनांक 20-1-90 कानून 1 के परिच्छेद (5) के उपखंड (i) के बदले में निम्नलिखित लिखा जाए :

"(i) कुलपति को प्रतिमाह 7,600 रु. (नियत) वेतन दिया जाएगा तथा वे विश्वविद्यालय की कार का मुफ्त उपयोग कर सकते हैं। अपने कार्यकाल में वे बिना किराया दिए सज्जित आवास में रह सकते हैं तथा उस आवास के रख-रखाव के लिए कुलपति को व्यक्तिगत रूप से कुछ भी अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

[सं. ए. डी. (जी)/एस टी (1)/89]
के नारायणन, कुलसचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th August, 1990

G.S.R. 554.—In the notification of the Indira Gandhi National Open University, GSR 39 published at page 63 of the Gazette of India, Part II Section 3, sub-section (i) dated 20-1-90, Sub-clause (i) of clause (5) of Statute 1 of the said notification be substituted with the following :

"(i) There shall be paid to the Vice-Chancellor a salary of Rs. 7,600 (fixed) per month and he would be entitled to the free use of the University car and, without payment of rent, to the use of furnished residence throughout his term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor personally in respect of the maintenance of such residence."

[F. No. AD(G)/ST (1)/89]
K. NARAYANA, Registrar

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 अगस्त 1990

सा. का. नि. 555 :—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 की 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के आदेश सं. सा. का. नि. 199 दिनांक 21 फरवरी, 1983 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में "रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)" शीर्षक के अंतर्गत, क्रम सं. 1 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात :—

(I) सचिव

(II) संयुक्त सचिव

(III) उप सचिव

(IV) अवर सचिव

(V) कार्यपालक निदेशक